एफ. सं. 1704813/1/2022- वित्तिय वर्ष (समन्वय) (ई-21449)
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
36, जनपथ, नई दिल्ली-110001.
दिनांक 11 नवंबर , 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **मत्स्यपालन विभाग के संबंध में अक्तूबर, 2024 माह के लिए मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख गतिविधियों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों संबंधी मासिक सारांश मंत्रिमंडल को प्रेषित करने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/26/1/2018-कैब का संदर्भ लेने तथा अक्टूबर, 2024 माह के दौरान मत्स्यपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों, महत्वपूर्ण निर्णयों, मंत्रिमंडल/ मंत्रिमंडल समितियों के निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर प्रगति संबंधी मासिक सारांश परिचालन और सूचनार्थ प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

संलग्न: यथोपरि

(डॉ. एंसी मैथ्यू एनपी)
सहायक आयुक्त (मात्स्यिकी)

प्रति
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि

1) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली-110001 (ध्यानार्थ: श्री पुनीत कंसल ,अपर सचिव)
2) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
3) राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन , नई दिल्ली
4) उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली
5) प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन , नई दिल्ली
6) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
7) सलाहकार, कृषि वर्टिकल, नीति आयोग , नीति भवन , नई दिल्ली

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1) माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के निजी सचिव
2) माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री के निजी सचिव
3) सचिव,मत्स्य पालन विभाग के प्रधान निजी सचिव
4) अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के प्रधान निजी सचिव
5) मत्स्यपालन विभाग के संयुक्त सचिव के प्रधान निजी सचिव
6) तकनीकी निदेशक, एनआईसी डीओएफ को विभाग की वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेज अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में अक्तूबर, 2024 के माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम

1. मत्स्यपालन विभाग ने 19 अक्टूबर 2024 को ज्ञान भवन, पटना, बिहार में "एपलिकेशन एंड डेमोंनस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन टेकनोलॉजी इन फिशरीज एडं एक्वाकल्चर" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ-साथ, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एवं पंचायत राज मंत्रालय, श्रीमती रेणु देवी, मंत्री, पशु एवं मात्स्यिकी संसाधन विभाग, बिहार, श्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार के उपमुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे । कार्यशाला में मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक, राज्य मत्स्य अधिकारी, मछुआरे और मछुयारिनें एक मंच पर एक साथ आए ।

2. मत्स्यपालन विभाग ने "वेस्सल कम्यूनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम" के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर आए चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है । इस सिस्टम में स्वदेशी ट्रांसपोंडर तकनीक शामिल की गई है । इन ट्रांसपोंडरों के जरिए, स्पेस एकप्लीकेशन सेंटर (एसएसी), अहमदाबाद के माध्यम से समुद्र में मौजूद मछुआरों को 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 तक समुद्र में जाने से बचने की सलाह जारी की गई थी। समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत किनारे पर लौटने की भी सलाह दी गई थी। इस चेतावनी का समय महत्वपूर्ण था, जिससे मछुआरों को चक्रवात के आने से पहले आवश्यक सावधानी बरतने का मौका मिल गया। मछुआरों को भेजे गए संदेश इस प्रकार थे - **"**समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत तट पर लौटने की सलाह दी जाती है**"** और **"**मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे उस अवधि के दौरान ओडिशा तट और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के समुद्र में न जाएं।**"** ये संदेश अंग्रेजी और ओड़िया दोनों भाषाओं में प्रसारित किए गए ताकि सभी मछुआरे स्थिति की गंभीरता को समझ सकें ।

3. 28 से 30 अक्टूबर, 2024 तक मत्स्यपालन विभाग के सचिव ने कोलंबो, श्रीलंका में मछुआरों के मुद्दों पर भारत-श्रीलंका जाइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया । मछुआरों के मुद्दों से निपटने में मानवीय दृष्टिकोण, फिशिगं वेसल्स के साथ गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई, मछुआरों की मौत की जांच और श्रीलंका में मत्स्यन और जल कृषि से संबंधित भारत के विकासात्मक एवं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई ।

4. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा 04 अक्टूबर, 2024 को अतिरिक्त प्रस्तावों पर चर्चा और मूल्यांकन करने के लिए 65वीं प्रोजेक्ट अप्रेसल कमिटी (पीएसी) की बैठक आयोजित की गई और लाभार्थी-उन्मुख और गैर-लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत मिजोरम, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना से प्राप्त प्रस्तावों को 160.76 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ कुल 305.03 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित की गईं ।

***